सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय

पत्रकार कोलोनी लिंक रोड- **462016**

ई-मेल **dir.socialjustice@mp.gov.in**

क्र./VC /2026/I/849896/2026 दिनांक 27-02-2026

प्रति,

समस्त संयुक्त /उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यान्गजन सशक्तिकरण विभाग
म.प्र.।

विषय:- दिनांक 11/02/2026 को आयोजित वी.सी. के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

--00--

दिनांक **11/02/2026** को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं/विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय एवं जिले के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

---0---

1. सर्वप्रथम मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। जबलपुर, भोपाल एवं ग्वालियर जिले में अधिक संख्या में लैपटॉप प्रदान ना करने संबंधित शिकायतें लंबित पाई गई। कतिपय शिकायतों पर विगत 2 विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी समीक्षा की जाकर निराकरण करने के निर्देश दिये गये थे किन्तु शिकायतों का निराकरण नहीं हो पाया है। अत: सभी जिलों को लंबित शिकायतों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये गये।
2. समस्त जिलों को अवगत कराया गया कि उक्त योजना से संबंधित प्रकरणों के समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम में चयनित होने की संभावना अधिक होती है। अत: प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करना सुनिश्चित करें।
3. यदि किन्हीं प्रकरणों/शिकायतों में संचालनालय स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित हो तो तत्काल संबंधित योजना प्रभारी अधिकारी संचालनालय से संपर्क कर निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।
4. मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में विभाग अंतर्गत 100 दिवस से लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। विशेषकर भोपाल, भिण्ड एवं शहडोल जिलों में अधिक संख्या में शिकायतें लंबित पाई गई। समस्त जिला अधिकारियों को 100 दिवस से लंबित शिकायतों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये गये।
5. विभाग की लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवाओं के अंतर्गत प्राप्त समय-सीमा बाहय आवेदनों की समीक्षा की गई एवं तत्काल लंबित आवेदनों का निराकरण करवाने के निर्देश दिये गये। मंदसौर, पन्ना एवं कटनी जिलों में अधिक संख्या में आवेदन लंबित पाये गये।
6. संकल्प से समाधान अभियान अंतर्गत विभाग में प्राप्त आवेदनों का निराकरण करने हेतु समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया। ग्वालियर, सागर, सीधी एवं खण्डवा जिलों में अधिक संख्या में आवेदन निराकरण हेतु लंबित पाये गये।
7. जे.जे.सी के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों की पहचान हेतु विभिन्न जिलों में स्क्रीनिंग कैंप आयोजित कराये जाने हेतु तथा स्क्रीनिंग कैंप हेतु रोस्टर संचालनालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित

किया गया ।

8. विभाग में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों का अवकाश एवं अर्जित अवकाश ऑनलाइन, वार्षिक संपत्ति विवरण एवं गोपनीय प्रतिवेदन को e-HRMS पोर्टल पर ऑनलाइन करने हेतु जिलों में कार्यरत समस्त शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को एकल मानव संसाधन प्रणाली (eHRMS पोर्टल) Onboard कराने हेतु निर्देशित किया गया ।
9. विधान सभा सत्र के दौरान प्राप्त प्रश्नों की जानकारी समबन्धित जिलों द्वारा समय पर उपलब्ध कारें हेतु निर्देशित किया गया I
10. स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की 3 KPI की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिलों को निर्देशित किया गया I
11. SNA SPARSH प्रणाली अंतर्गत नशामुक्त भारत अभियान की पाँचवीं वर्षगांठ के अवसर पर दिनांक 18 नवम्बर 2025 को जिलों में आयोजित नशामुक्ति कार्यक्रमों का मांग पत्र एवं वास्तविक लंबित देयकों की छायाप्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
12. विभाग के अंतर्गत जिलों में लंबित ऑडिट कंडिकाओं का अतिशीघ्र निराकरण किया जा कर पालन प्रतिवेदन शीघ्र AGMP ग्वालियर को भेजने हेतु निर्देशित किया गया ।

Digitally signed by
Suchita Tirkey Beck
Date: 27-02-2026
12:14:59

उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल म.प्र.

क्र./VC /2026/I/849896/2026 दिनांक 27-02-2026

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग – सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश – सूचनार्थ।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – सूचनार्थ।
4. समस्त अनुभाग प्रभारी, संचालनालय – सूचनार्थ।
5. समस्त जिला समन्वयक, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी – सूचनार्थ ।
6. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/समन्वयक – सूचनार्थ।
7. समस्त समग्र संयोजक सूचनार्थ ।

उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल म.प्र.